

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि०न० - 50/2020(2020/00250)

अनवान : -



रामप्रताप पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा।

-प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- श्री मुंशीराम गोस्वामी -प्रार्थी
राजपैरोकार -राज० सरकार

आदेश

दिनांक : 04/03/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा रोही मौजा श्योराटाडा के खाता सं० 3/3 के खसरा नं० 99 की 10.193 है०, खसरा न० 153 की 0.632 है०, खसरा न० 251 की 10.398 है० कुल खसरा 3 की 21.183 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में प्रार्थी के नाम 1/5 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम विरासतन दर्ज करते समय प्रार्थी का सही नाम रामप्रताप के स्थान पर प्रताप पुत्र अमरसिंह दर्ज हो गया।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम रामप्रताप की बजाये प्रताप दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। प्रार्थी के पिता अमरसिंह के प्रताप नामक कोई लड़का नहीं है जबकि प्रार्थी के पहचान पत्र, आधार कार्ड व राशनकार्ड में प्रार्थी का नाम रामप्रताप पुत्र अमरसिंह दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में रामप्रताप की बजाये प्रताप दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता है और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम प्रताप पुत्र अमरसिंह के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम रामप्रताप पुत्र अमरसिंह दर्ज कराने का मजाज कानूनी है।

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रामप्रताप के स्थान पर प्रताप दर्ज होने से प्रार्थी राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों को ऋण देन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं को ऑन लाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी का नाम प्रताप दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से

वंचित होना पड़ता है। प्रार्थी के रोही मौजा श्योराटाडा के खाता संख्या 3/1 में प्रार्थी का नाम रामप्रताप दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नहीं होती है।


प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी परोकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने ग्राम रोही मौजा ग्राम श्योराटाडा के खाता सं० 3/3 की कुल 21.183 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि "प्रार्थी का सही नाम रामप्रताप के स्थान पर प्रताप दर्ज हो गया।" जिसके समर्थन में प्रार्थी ने अपना शपथ पेश कर प्रमाणित प्रति पहचान पत्र, आधार कार्ड व परिवार राशन कार्ड पेश किये हैं जिनमें प्रार्थी का नाम रामप्रताप अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ग्राम रोही मौजा ग्राम श्योराटाडा के खाता सं० 3/3 की कुल 21.183 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में प्रार्थी का नाम "प्रताप के स्थान पर रामप्रताप" दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रताप पुत्र अमरसिंह ही प्रभावी माना जायेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(ज्योति सिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़